

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 20(नैक)/आयों/निकाशि/2013/356
प्राचार्य
समस्त राजकीय /अराजकीय महाविद्यालय
राजस्थान


दिनांक 22 अगस्त, 2013

विषय:-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थानों का अधिदेशात्मक
निर्धारण एवं प्रत्यायन) विनियम 2012
सन्दर्भ:- निदेशालय के पत्र क्रमांक 263 एवं 266 दिनांक 10.4.2013 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रत्येक महाविद्यालय जिसने सफलतापूर्वक 2 बैच पूर्ण कर लिये हो अथवा 6 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो को नैक से मूल्यांकन तथा स्तरांकन हेतु 3 सितम्बर 2013 तक आवश्यक रूप से नैक में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया था वे महाविद्यालय इस क्रम में की गयी कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब ugcsection@gmail.com पर अवगत करावें।

भवदीय


(डा.सी.एम.खटीक)
संयुक्त निदेशक

दिनांक 22 अगस्त, 2013

क्रमांक:- एफ 20(नैक)/आयों/निकाशि/2013/357
प्रतिलिपि:-

1. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक